आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 47/2018–2019

सुभाष प्रसाद सिंह वनाम् देव नरायण पासवान एवं अन्य

आदेश

28/04/2022

आवेदक श्री सुभाष प्रसाद सिंह, पिता–स्व० सदानन्द सिंह, ग्राम–सचई, अंचल+थाना–कुर्था, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी करने एवं मेढ़बंदी कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:–

खाता	प्लॉट	रकवा	चौहद्दी
244	1518	24 डी०	उतर–प्लॉट संख्या–2009/1480 दक्षिण–पिण्ड पूरब–देव नारायण पासवान पश्चिम–मनीकांत भूषण एवं सुनिल शर्मा वगैरह

अवस्थित मौजा–सचई, थाना संख्या–135, तौजी संख्या–1755, अंचल+थाना–कुर्था, जिला–अरवल।

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी संख्या–01, 02, 04 और 05 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या–03 उपस्थित नही हुए जिसे प्रत्युतर दाखिल करने से वंचित करते हुए वाद की सुनवाई की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि पूराना सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक भूमि है जिसका कुल रकवा 83 डी० है।

(2) विवादित भूमि आवेदक के पिता एवं चाचा ने 16 डी० और 08 डी० भूतपूर्व जमींदार से बंदोबस्ती हुकुमनामा द्वारा तारीख 12 फागुन 1354 साल ई० 1947 द्वारा प्राप्त कर शांति पूर्वक दखल कब्जा में आये।

(3) विवादित भूमि जमींदारी उन्मूलन के वाद भूतपूर्व जमींदार के द्वारा रिर्टन केस संख्या–206/406/83/54–55 के द्वारा क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त किये।

(4) वादी के चाचा महानन्द सिंह के मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके पुत्र अर्जून सिह ने अपने पिता के द्वारा लिये गये बंदोबस्ती की भूमि वादी की मॉ श्रीमती सीतापति देवी, पति–महानन्द सिंह ने खरीदकर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में आई।

(5) बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि एवं खरीदगी भूमि को अंचल अधिकारी, कुर्था में विधिवत ढ़ंग से दाखिल खारिज कराकर राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे है।

(6) विवादित भूमि को अपने माता–पिता के उपरान्त अन्य भूमियों के साथ–साथ उपरोक्त भूमि उतराधिकार के रूप में प्राप्तकर शांतिपूर्ण दखल कब्जा में रहकर जोत–कोड़ आबाद करते चले आ रहे है।

(7) विवादित भूमि के पुरवारी आल को काटकर प्रतिवादीगण दखल कब्जा करना चाहेते है जिसके आलोक में थानाध्यक्ष कुर्था में आवेदन दाखिल किया गया जिसे थानाध्यक्ष कुर्था द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्था को पैमाईश कर अलग–अलग मेढ़बंदी करने का प्रतिवेदन समर्पित किया था।

(8) अंचल अधिकारी, कुर्था द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 716 दिनांक 18.11.2017 के माध्यम से

दोनों पक्षों के भूमियों को पैमाईश करने हेतु अंचल अमीन प्रतिनियुक्त किया गया तदोपरान्त अंचल अमीन द्वारा दोनों पक्षकारों के भूमियों को वैज्ञानिक पद्वति से पैमाईश कर अंचल अधिकारी, कुर्था के कार्यालय में दिनांक 18.12.2017 को नापी प्रतिवेदन समर्पित किये। परन्तु प्रतिवादीगण नापी को मानने को तैयार नही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रतिवादीगण का उपरोक्त खाता, प्लॉट वाली भूमि पर मात्र पॉच–पॉच डी० जमीन 40 वर्षो से दखल कब्जा में चली आ रही है।

(2) प्रतिवादीगण दखल कब्जे वाली भूमि को वासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, कुर्था के समक्ष आवेदन देते चले आ रहे है लेकिन आज तक वासगीत पर्चा निर्गत नही किया गया।

(3) प्रतिवादीगण भूमिहीन एवं दलित परिवार के व्यक्ति है।

(4) वादी संयुक्त परिवार से आते है। इनके पास 20–25 एकड़ जमीन से भी ज्यादा भूमि के मालीक है जिसे प्रतिवादीगण को कमजोर एवं गरीब जानकर तंग तबाह करते रहते है।

(5) कैडस्ट्रल एवं रिभिजनल सर्वे के दौरान संधारित खतियान में गैरमजरूआ मालिक खाते में भी जमीन प्रविष्टी हुई थी। उक्त वर्णित जमीनों को जमीदारों द्वारा रैयत को काश्तकारी के साथ–साथ कृषि कार्य हेतु बंदोबस्त की जाने वाली जिनके अन्तर्गत संबंधित रैयत के नाम निर्गत होता है।

(6) खाता संख्या–244, खेसरा संख्या–1518, रकवा–53 डी० के संबंध में अंचल अधिकारी, कुर्था एवं हल्का कर्मचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में उक्त भूमि गैरमजरूआ मालिक के नाम पर दर्ज है जो किसी भी रैयत को बंदोबस्त नही किया गया है।

(7) जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमाबंदी सृजन का प्रावधान था। इस प्रकार आकृषि गैरमजरूआ मालिक जमीन की बंदोबस्ती रैयतों, कास्तकारों के साथ होने पर भू–लगान वसूली के उदेश्य के लिए जमाबंदी पंजी में जमाबंदी सृजन की कार्रवाई का प्रबधान था। परन्तु अभी तक उक्त भूमि को किसी के पक्ष में बंदोबस्ती जमीदारों ने नही किया और उक्त भूमि बिहार सरकार के अधीन में है।

(8) उक्त भूमि का विकय पत्र का कोई औचित्य नही है क्योंकि विकेता उक्त भूमि को मालिक जमींदारी उन्मूलन कानून 1956 के वाद नही रखे जिसे विकय पत्र बेकार है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारीज करने योग्य है।

वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या–01, 02, 04 एवं 05 को सूना। वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। वादी ने विवादित भूमि से संबंधित हुकुमनामा, रिर्टन एवं जमींदारी रसीद

तथा राजस्व रसीद दाखिल किया है। हुकुमनामा के आलोक में रिर्टन केस संख्या–206/406/83/54–55 के आधार पर दावा कर रहे है। जबकि प्रतिवादीगण अपने प्रत्युतर में 40–45 वर्षो से रहने के आधार पर दावा कर रहे है जो उक्त खाता, प्लॉट में 05–05 डी० भूमि पर रह रहे है। उनके द्वारा बताया गया कि हमलोग भूमिहीन लोग है जिसे अंचल कार्यालय, कुर्था में बंदोबस्ती हेतु आवेदन दिया गया लेकिन आज तक हमलोगों का बंदोबस्ती नही किया गया है। उन्होने बताया है कि जमींदारी द्वारा उक्त भूमि का बंदोबस्ती नही किया गया और उक्त भूमि सरकार के जिम्मे है।

विवादित भूमि की नापी अंचल अधिकारी, कुर्था ने पत्रांक 776 दिनांक 18.11.2017 द्वारा अंचल अमीन से कराया गया। अंचल अमीन ने अपने नापी प्रतिवेदन में उल्लेखित नही किया है कि विवादित भूमि का कुल रकवा कितना है। केवल नापी प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि आवेदक (सुभाष प्रसाद सिंह) का जमीन 6.583 डी० भूमि कम है।

अंचल अधिकारी, कुर्था से विवादित भूमि से संबंधित रिर्टन का जॉच प्रतिवेदन की मॉग किया गया। अंचल अधिकारी कुर्था ने कार्यालय पत्रांक 174 दिनांक 19.02.2020 द्वारा अंचल अमीन सह रिर्टन अभिलेख प्रभारी अंचल कुर्था का प्रतिवेदन जमाबंदी रिर्टन केस संख्या–206/406 के संबंध में रिर्टन का प्रभार उन्हें नही मिला है।

अतः वादी द्वारा विवादित भूमि से संबंधित दायर हुकुमनामा के आलोक में रिर्टन केस संख्या–206/204/83/54–55 दाखिल किया है किन्तु अंचलाधिकारी, कुर्था द्वारा अभी तक उक्त कागजातों का सत्यापन नही किया जा सका है और खतियान में प्रश्नगत् भूमि गैर मजरूआ मालिक है। अतः जब तक प्रश्नगत् भूमि पर वादी का दावा स्पष्ट नही हो जाता है तब तक सिमांकन कराना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही अंचलाधिकारी, कुर्था को निदेश दिया जाता है कि रिर्टन आदि की जॉच कर पूर्णतः संतुष्ट हो ले और यदि अंचलाधिकारी, कुर्था को ऐसा प्रतीत होता है कि विषयगत भूमि सरकार की है अथवा इससे सरकार का हित निहित है तो विषयगत भूमि में सरकार का हित संरक्षित करने हेतु आवश्यक एवं नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

28/04/2020

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

28/04/2020

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।